

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)
// विविध आदेश //

क्रमांक 140/एक-9-1/90 (भाग-1)

सीधी, दिनांक 31/12/2025

मैं प्रयाग लाल दिनकर, सत्र न्यायाधीश सीधी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सत्र खण्ड के लिए उक्त कार्य से संबंधित पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्न कार्य विभाजन पत्रक जारी करता हूँ, जो दिनांक 01/01/2026 से प्रभावशाली होगा:-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4
1.	सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. अधिसूचित विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर समस्त सत्र व अन्य दाण्डिक प्रकृति के प्रकरण। 2. म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 13 के तहत प्रकरण। 3. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर शेष समस्त दाण्डिक अपीलें। 4. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर शेष समस्त दाण्डिक पुनरीक्षण। 5. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर एवं विशेष न्यायालयों में सीधे प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदनों को छोड़कर समस्त जमानत आवेदन। 6. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुशासिक कार्यवाहियां।
2.	विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. (पी.ए.) एक्ट	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरण से प्राप्त सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. सत्र खण्ड सीधी अंतर्गत उत्पन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से सुनवाई योग्य प्रकरण। 3. विधुत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 4. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में

			निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुशासिक कार्यवाहियां।
3.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरण से प्राप्त सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. सत्र खण्ड सीधी के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से सुनवाई योग्य प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र 3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र 4. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम 2008 की धारा 22 (1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 5. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुशासिक कार्यवाहियां।
4.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरण से प्राप्त सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुशासिक कार्यवाहियां।
5.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरण से प्राप्त सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुशासिक कार्यवाहियां।
6.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरण से प्राप्त सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. सीधी जिले से उद्भूत पॉक्सो अधिनियम 2021 से संबंधित समस्त प्रकरण।

			3. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुशांषिक कार्यवाहियां।
7.	अपर सत्र न्यायाधीश, शृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन जिला सीधी		1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरण से प्राप्त सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुशांषिक कार्यवाहियां।
8.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर नैकिन जिला सीधी	थाना-रामपुर नैकिन	1. विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर थाना रामपुर नैकिन के समस्त सत्र प्रकरण, अन्य दाण्डिक प्रकृति के प्रकरण एवं जमानत आवेदनों में अनुशांषिक कार्यवाहियां। 2. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरण से प्राप्त सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 3. रामपुर नैकिन में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत दाण्डिक अपीले तथा पुनरीक्षण। 4. उक्त से उद्भूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण व संबंधित अन्य अनुशांषिक कार्यवाहियां।

// आवश्यक निर्देश //

1. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अभियुक्त के पश्चातवर्ती जमानत आवेदन तथा सह अभियुक्तों के जमानत आवेदनों की सुनवाई उन्हीं न्यायाधीशों द्वारा की जावेगी, जिन्होंने उस अपराध क्रमांक से संबंधित आवेदन पूर्व में निराकृत किये हैं। इस हेतु तत्संबंधी जमानत आवेदन उस न्यायाधीश के न्यायालय को स्वतः अंतरित माना जावेगा। इसी प्रकार सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण लंबित हैं, उनसे संबंधित अभियुक्त, सहअभियुक्त के प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय को स्वतः अंतरित माना जावेगा।
2. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई **सोमवार** को विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. (पी.ए.) एक्ट सीधी के न्यायालय द्वारा, **मंगलवार** को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा, **बुधवार** को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा, **गुरुवार** एवं **शुक्रवार** को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा और **शनिवार** को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय द्वारा सुनवाई की जावेगी।
3. अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त प्रकार के दाण्डिक, निष्पादन, विविध प्रकरण तथा आवेदनों का निराकरण (जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरण भी शामिल हैं) प्रथम अपर सत्र

न्यायाधीश सीधी के न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जावेगा व उनका न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित चार्ज प्रभार की व्यवस्था अनुसार प्रभारी अधिकारी के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

4. समस्त न्यायाधीश वारंट (चाहें वह जमानती, अजमानती हो अथवा कुर्की, कब्जा अथवा अन्य प्रकार के वारण्ट हो) पर संबंधित लिपिक के लघु हस्ताक्षर सील के नीचे होने तथा अभिलेख से वारण्ट के सही होने की पुष्टि करने के उपरांत वारण्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।

5. प्रकरणों में जो संपत्ति जमा की जावे, वह पूरी होने की संतुष्टि करने के बाद व न्यायाधीश की मुद्रा के नीचे संबंधित लिपिक के लघु हस्ताक्षर करने के उपरांत ही न्यायाधीश माल पर्चे पर हस्ताक्षर करेंगे।

6. तहसील रामपुर नैकिन के न्यायालय की श्रृंखला अवधि उपरांत वहां के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित त्वरित प्रकृति के प्रकरणों व आवेदनों का निराकरण जिला मुख्यालय सीधी में कार्यरत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय द्वारा किया जावेगा। यदि कोई ऐसा मामला/आवेदन आदि पेश होता है जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में न हो तो वह संबंधित तहसील/जिले के वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर निराकरण किया जावेगा।

// चार्ज प्रभार //

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8 (8) के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में आवश्यक दायिद्वक कार्य के लिए पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है जो दिनांक ०१/०१/२०२६ से प्रभावशाली होगा:-

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क्र. 3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता में द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1.	सत्र न्यायाधीश सीधी	विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. (पी.ए) एक्ट सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
2.	विशेष न्यायाधीश, एस. सी.एस.टी. (पी.ए.) एक्ट सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
3.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. (पी.ए) एक्ट सीधी	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
4.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी

5.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
6.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
7.	अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन जिला सीधी	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
8.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर नैकिन	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी

नोट:- उक्त प्रथम एवं द्वितीय अधिकृत न्यायाधीशों के अवकाश पर रहने की स्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य सम्पादित किया जावेगा।


 (प्रयाग लाल दिनकर)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 सीधी (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 3893/एक-9-1/90 (भाग-1)

सीधी, दिनांक 31 / 12 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट सीधी
 2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
 3. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सीधी
 4. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर नैकिन
 5. प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश सीधी
 6. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुरनैकिन
 7. जे.एस.ए. सीधी
 8. पंजीयन लिपिक
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

38/31-12-2025

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)